

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, 30प्र0।

(आन्तरिक सतर्कता प्रकोष्ठ)

लखनऊ :: दिनांक 17 अप्रैल, 2013

1-समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

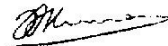
2-समस्त एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

इस कार्यालय के पत्र संख्या-स्था-1-2012-13/3185, दिनांक 07-11-2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके अधीनस्थ संदिग्ध सत्यनिष्ठा / संदिग्ध आचरण वाले अधिकारियों को चिन्हित करने हेतु आपको निर्देशित किया गया था तथा उक्त क्रम में पत्र संख्या-4125, दिनांक 20-12-2012 द्वारा आपके जोन से सम्बन्धित अधिकारियों की एक सूची उपलब्ध करायी गयी थी तथा आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि इन अधिकारियों के क्रिया कलापों पर कड़ी दृष्टि रखी जाय।

आप अवगत हैं कि वर्ष 2013-14 का स्थानान्तरण सत्र प्रारम्भ हो चुका है। आप द्वारा अपने अधीनस्थ कतिपय संदिग्ध आचरण वाले अधिकारियों को चिन्हित किया गया होगा एवं सघन पर्यवेक्षण के दौरान ऐसे अधिकारी भी चिन्हित किये गये होंगे, जो अनुशासनहीन भी रहे हों तथा इस सम्बन्ध में अपने स्तर से कतिपय कार्यवाहियाँ भी की गयी होंगी। इस प्रकार प्रशासकीय नियन्त्रण के दौरान जिन अधिकारियों के विरुद्ध आप द्वारा कार्यवाही की गयी हो अथवा उन अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त गम्भीर शिकायतों के आधार पर स्वयं आपके द्वारा अथवा मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों पर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की गयी हो, उन अधिकारियों की सूची पूर्ण विवरण सहित दिनांक 20-04-2013 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह भी ध्यान रहे कि उन अधिकारियों के अन्यत्र स्थानान्तरण के लिए प्रस्ताव न प्रेषित किया जाय, वरन् उन अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का स्पष्ट प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

यदि आप समझते हैं कि आपके अधीनस्थ जोन में उक्त श्रेणी का कोई अधिकारी नहीं है, तो शून्य की सूचना प्रेषित की जाय। यह सूचना अपने स्तर से परम कर्तव्यपरायणता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करते हुये प्रेषित की जाय। यदि आपके द्वारा ऐसा कोई अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान न तो चिन्हित किया गया और न ही आपके द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गयी, परन्तु आपके अधीनस्थ किसी अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 24-04-2013 के उपरान्त संदिग्ध आचरण की शिकायत मुख्यालय / शासन स्तर पर प्राप्त होती है, तो आपका पर्यवेक्षण शिथिल मानते हुये प्रकरण में प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।


(हिमांशु कुमार)

मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं कमिशनर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।